न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 79/2018

अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. विजयसिंह पि0मु0 अर्जुनसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
2. बिमला पुत्री विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
3. मुन्नी पुत्री विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
4. रामकला पुत्री विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
5. भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निबासी आसन तहसील भादरा।
6. लखनसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
7. सन्तोषसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
8. महावीरसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
9. विजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
10. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवांदीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9**

निर्णय **दिनांकः** 21.5.18

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के वर्तमान खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार आसन के ही खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.828 है0 खसरा सं0 16 की 4.262 है0 कुल 12.090 है0 खातेदारी में प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से 478 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि वादी के दादा अर्जुनसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 का पारिवारिक सैटलमेन्ट करीब तीन वर्ष पूर्व हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 ता 9 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया था जिसके उपरान्त वाद भूमि जो विजयसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 ता 9 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज कुल वादभूमि प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किय जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता

9 आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार पीडब्ल्यु 1 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम आसन खाता सं0 85/86 व 86/85 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1 व 2, प्रमाणित प्रतिलिपि भू प्रबन्ध विभाग ग्राम आसन सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 व 4, असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम आसन में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी अपने दावा की पुष्टि हेतु जो प्रमाणित प्रतिलिपि भू प्रबन्ध विभाग ग्राम आसन सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाई है उनमें कृषि भूमि वादी के दादा अर्जुनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में विजयसिंह के वारिसान में पत्नि फूल कंवर फौत, 6 पुत्र भंवरसिंह, लखनसिंह, सन्तोषसिंह, महाबीरसिंह, सुरेश कुमार, विजेन्द्रसिंह व 3 पुत्रियां बिमला, मुनी, रामकला होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के वर्तमान खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार आसन के ही खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.828 है0 खसरा सं0 16 की 4.262 है0 कुल 12.090 है0 खातेदारी में प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से 478 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 9 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने विवादित कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 79/2018

अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. विजयसिंह पि0मु0 अर्जुनसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
2. बिमला पुत्री विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
3. मुन्नी पुत्री विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
4. रामकला पुत्री विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
5. भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
6. लखनसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
7. सन्तोषसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
8. महावीरसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
9. विजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
10. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एंव वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एंव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के वर्तमान खाता सं0 85/86 के खसरा सं0 166 की 12.027 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार आसन के ही खाता सं0 86/85 के खसरा सं0 8 की 7.828 है0 खसरा सं0 16 की 4.262 है0 कुल 12.090 है0 खातेदारी में प्रतिवादी विजयसिंह के नाम से 478 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 9 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने विवादित कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ